

>

Title: Regarding allotment of land to local farmers at the rate of 12.5% by Jawahar Lal Nehru Port Trust, Navi Mumbai.

श्री गजानन ध. बाबर (मावल): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय जहाजशानी मंत्री जी का ध्यान न्यू-मुम्बई स्थित जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदया, जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के निर्माण के समय वहां ग्रामीणों की जमीन सरकार द्वारा अधिगृहीत की गयी थी और किसानों को यह आश्वासन दिया गया था कि साढ़े बारह टके के हिसाब से बाद में उन्हें जमीन दे दी जाएगी। 30 साल के लगातार आंदोलन के बाद किसानों को जमीन देने की बात कही गयी।

लेकिन अभी तक किसानों को जमीन नहीं दी गई है, जिसके कारण स्थानीय किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहां दिन-प्रतिदिन आंदोलन हो रहे हैं। यह जमीन साढ़े बारह टका के हिसाब से किसानों को दी जानी है, वहां पर जमीन समतल होनी चाहिए, जबकि यह जमीन ऊबड़-खाबड़ है। यह जमीन समतल किए जाने की आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे। जहां साढ़े बारह टका के हिसाब से जमीन किसानों को दी जानी है, वहां जमीन जल्दी से जल्दी समतल करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित विभाग को दिया जाए तथा किसानों को उचित रूप से जमीन का आबंटन किया जाए, जिससे कि सभी किसानों को लाभ मिल सके।